भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 70

सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक)

ईपीएफ अंशदान

70. श्री के. सुधाकरन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा ईपीएफ अंशदान के लिए 44,34,291 रुपए की मांग के संबंध में संसद सदस्य और कन्नूर में थिरूवेपथी मिल्स एंप्लाइज जॉइंट एक्शन कमिटी से कोई याचिका प्राप्त हुई है;

(ख) क्या कामगारों तक कानूनी रूप से बकाया राशि का केवल एक-चौथाई हिस्सा ही पहले लाभांश के रूप में पहुंचा;

(ग) क्या सहायक भविष्य निधि आयुक्त ईपीएफ अंशदान के लिए 1,49,25,709 रुपए का दावा करता है, जबकि परिसमापक ने केवल 44,34,291 रुपए स्वीकृत किए, जिससे शेष राशि का भुगतान नहीं हो पाया;

(घ) क्या सरकार द्वारा यह देखते हुए कि कामगारों के ईपीएफओ दावों को पूरा करने से उनके उचित बकाए को पूरा करने के लिए निधि अपर्याप्त हो सकती है, उनकी चिंताओं को दूर करने का विचार है और यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या थिरूवेपथी मिल्स की रूग्ण उद्योग के रूप में स्थिति और कामगारों की मांगों पर संभावित प्रभाव के मद्देनजर ईपीएफओ के दावे को वापस लेने या पुनर्मूल्यांकन करने पर कोई विचार किया जा रहा है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): जी, हाँ।

(ख): ईपीएफओ से संबंधित नहीं है।

(ग) से (ङ): ईपीएफओ ने आधिकारिक परिसमापक के पास 1,49,25,709/- रुपये का दावा दायर किया, जिसमें से आधिकारिक परिसमापक द्वारा 39,33,799/- रुपये का भुगतान किया गया। इसके पश्चात, दिनांक 10.01.2008 तक ब्याज को सीमित करते हुए 1,21,65,391.05/- रुपये का संशोधित दावा दायर किया गया। आधिकारिक परिसमापक ने पहरे एवं निगरानी स्टाफ के संबंध में पीएफ अंशदान के लिए 5,00,492/- रुपये की राशि स्वीकृत की तथा भुगतान किया।

जारी...2/-

थिरुवेपथी मिल्स संयुक्त कार्रवाई समिति के संयोजक से केंद्रीय न्यासी बोर्ड को संबोधित एक आवेदन दिनांक 10.04.2023 को प्राप्त हुआ है, जिसमें क्षति और ब्याज के तहत दावे को छोड़ने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि ब्याज क्षमा करने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि ईपीएफओ अपने सदस्यों (कर्मचारियों) के खाते में प्रतिवर्ष ब्याज जमा करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य है, भले ही नियोक्ता द्वारा समय पर बकाया राशि का भुगतान न किया गया हो।

केरल उच्च न्यायालय ने 2001 के सीपी संख्या 33 में सीओएए 15/2014 में ईपीएफ एण्ड एमपी अधिनियम की धारा 11(2) के तहत परिकल्पित प्राथमिकता को बरकरार रखते हुए धारा 7थ और धारा 14ख के अंतर्गत ईपीएफओ के दावे को स्वीकार किया। हालांकि, आधिकारिक परिसमापक ने अभी तक ब्याज और देय हर्जाने का भुगतान नहीं किया है।

*****